

## किरायेदार घोषणा फ़ॉर्म का संक्षिप्त परिचय

**कदम उठाएं: स्वयं को और अपनी गृहस्थी को किराये का भुगतान नहीं करने के कारण निष्कासन से बचाने के लिए किरायेदार घोषणा फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करें।** गवर्नर प्रिट्ज़कर के [कार्यकारी आदेश 2020-72](#) के तहत, जिसे कि [कार्यकारी आदेश 2020-74](#), एवं [कार्यकारी आदेश 2021-01](#), द्वारा संशोधित किया गया है, और [कार्यकारी आदेश 2021-04](#) के तहत फिर से जारी किया गया है, निष्कासन सुरक्षा अब विशिष्ट परिवारों तक सीमित है। यदि आप पर किराया बकाया है, और यदि आप अपने मकानमालिक को इस आशय की घोषणा प्रदान करते हैं कि आप निम्नलिखित 4 मानदंडों को संतुष्ट करते हैं, तो आपके मकानमालिक आपके विरुद्ध निष्कासन कार्रवाई दायर नहीं कर सकते हैं:

1. **आय:** मुझे पर निम्नलिखित में से कम-से-कम एक लागू होता है:

- मुझे कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वार्षिक आय में \$99,000 से अधिक नहीं कमाने की उम्मीद है (या संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करने पर \$198,000 से अधिक नहीं), या
- मुझे 2019 में किसी भी आय की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। आंतरिक राजस्व सेवा (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, IRS), या
- मुझे केयर्स (CARES) अधिनियम की धारा 2001 के अनुसरण में आर्थिक प्रभाव भुगतान (यानी स्टिम्यूलस चेक) मिला था;

2. **COVID-19 के कारण भुगतान करने में असमर्थता:** मैं COVID-19 से संबंधित किसी कठिनाई, जिसमें आय की उल्लेखनीय हानि, पूर्ति-योग्य कार्य के घंटों या वेतन की हानि, या अपनी जेब से किए जाने वाले व्ययों में सीधे तौर पर COVID-19 वैश्विक-महामारी से संबंधित वृद्धि शामिल हैं पर इन्हीं तक सीमित नहीं है, की वजह से किराया या आवासीय भुगतान पूरी तरह चुकाने में असमर्थ हूँ; और

3. **सर्वोत्तम प्रयास:** मेरे लिए जिन अन्य व्ययों का भुगतान आवश्यक है (जैसे, भोजन, जनोपयोगी सेवाएं (बिजली, गैस आदि), फोन व इंटरनेट एक्सेस, स्कूल का सामान, ठंडे मौसम के कपड़े, चिकित्सा व्यय, बच्चों की देखभाल, और परिवहन लागतें, जिनमें कार भुगतान, रखरखाव, और बीमा शामिल हैं) उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं मेरी परिस्थितियों में पूर्ण भुगतान के जितने समीप संभव हो उतने समीप के आंशिक भुगतान समय से करने के लिए मेरे सर्वोत्तम प्रयास कर रहा/ही हूँ; और

4. **जोखिम में:** यदि बेदखल किया जाता है तो मेरे बेघर हो जाने की संभावना है, या मुझे किसी नए साझा निवास स्थान के अंदर या समीप रहने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई आवास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

आपको निष्कासित करने का कानूनी अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति, जिसमें आपके मकानमालिक शामिल हैं, के लिए यह आवश्यक है कि पट्टे (लीज़) पर मौजूद हर किरायेदार को इस 2 पृष्ठों वाले घोषणा फ़ॉर्म की एक प्रति देने के कम-से-कम 5 दिन बाद ही वे आपको आपकी किरायेदारी की समाप्ति का नोटिस दे सकते हैं। यदि आप ऊपर सूचीबद्ध मानदंड को संतुष्ट करने वाले किरायेदार हैं, तो आपको सरकारी आदेश के अंतर्गत संरक्षण पाने के लिए झूठी गवाही के दंड के अधीन घोषणा फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे अपने मकानमालिक को देना होगा। आपको हस्ताक्षरित घोषणा की एक प्रति अपने लिए भी रख लेनी चाहिए।

यदि एक मकान मालिक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि एक किरायेदार अन्य किरायेदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है या संपत्ति के लिए एक तत्काल और गंभीर जोखिम है, तो वे उस व्यक्ति के खिलाफ एक निष्कासन कार्रवाई दर्ज कर सकते हैं, भले ही उन्होंने एक घोषणा पूरी की हो।

कृपया ध्यान दें कि सरकारी आदेश 2020-72 के प्रभावी न रहने पर, आपके मकानमालिक किराये का पूरा भुगतान आवश्यक कर सकते हैं।

किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, हमारे बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) देखें या अतिरिक्त सहायता के लिए हमारे किसी भी सामुदायिक साझेदार से यहां संपर्क करें।

**[फार्म] इलिनॉय राज्य के लिए झूठी गवाही के दंड के तहत घोषणा का कार्यकारी  
आदेश 2020-72**

यह घोषणा किरायेदारों, पट्टेदारों, उप-पट्टेदारों और आवासीय संपत्तियों के निवासियों के लिए है जो इलिनॉय राज्य के कार्यकारी आदेश 2020-72 ("EO 2020-72") द्वारा आवरित हैं, जो COVID-19 के आगे प्रसार को रोकने के लिए आवासीय बेदखली को अस्थायी रूप से रोकता है (इनमें घर के मोर्टगेज के लिए पुरोबन्ध शामिल नहीं हैं)। EO 2020-72 के अनुसार, आपके लिए EO 2020-72 के संरक्षण का सहारा लेने के लिए इस घोषणा की एक प्रति अपने मकान मालिक, आवासीय संपत्ति के मालिक को, जहां आप रहते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रदान करना आवश्यक है, जिसके पास आपको उस जगह से बेदखल करने या हटाने का अधिकार है, जहां आप रहते हैं।

पट्टे, किराए के अनुबंध या आवासीय संविदा में सूचीबद्ध प्रत्येक वयस्क को यह घोषणा पूरी करनी चाहिए। EO 2020-72 किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने निवास से बेदखल होने या हटाए जाने से 12 दिसंबर, 2020 तक प्रतिबंधित करता है जो इस घोषणा को जमा करता है, जब तक कि वह व्यक्ति अन्य किरायेदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा या संपत्ति के खिलाफ तत्काल और गंभीर जोखिम के लिए सीधे खतरा पैदा नहीं करता है। EO 2020-72 में संशोधन या विस्तार किया जा सकता है। EO 2020-72 आपको किराए का

मैं झूठी गवाही के दंड के तहत प्रमाणित करता/करती हूँ, कि 720 ILCS 5/32-2 के अनुसार, पूर्वगामी सत्य और सही हैं:

- मैं कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए या तो वार्षिक आय के रूप में \$99,000 से अधिक आय कमाने की उम्मीद नहीं करता/करती हूँ (या यदि एक संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करते हैं तो \$198,000 से अधिक नहीं), मेरे लिए 2019 में यू.एस. इंटरनल रैवेन्यू सर्विस को किसी भी आय को सूचित करना आवश्यक नहीं था, या फिर, मुझे केयर्स (CARES) अधिनियम की धारा 2001 के अनुसरण में आर्थिक प्रभाव भुगतान मिला था;
- मैं COVID-19 से संबंधित किसी कठिनाई, जिसमें आय की उल्लेखनीय हानि, पूर्ति-योग्य कार्य के घंटों या वेतन की हानि, या अपनी जेब से किए जाने वाले व्ययों में सीधे तौर पर COVID-19 वैश्विक-महामारी से संबंधित वृद्धि शामिल हैं पर इन्हीं तक सीमित नहीं है, की वजह से किराया या आवासीय भुगतान पूरी तरह चुकाने में असमर्थ हूँ;
- मैं अन्य अनिवार्य व्ययों को हिसाब में लेते हुए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण भुगतान के अधिकतम संभव समीप आंशिक भुगतान समय से करने के हर संभव प्रयास कर रहा हूँ; 1 और
- यदि बेदखल किया जाता है तो मेरे बेघर हो जाने की संभावना है, या मुझे किसी नए एकत्रण अथवा साझा निवास स्थान के अंदर या समीप रहने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई आवास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
- मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे अभी भी किराए का भुगतान करना पड़ेगा या आवास का भुगतान करना पड़ेगा, और अन्य दायित्वों का पालन करना पड़ेगा जो मेरे किराएदारी, पट्टा अनुबंध या इसी तरह की संविदा के तहत मेरे हो सकते हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि मेरे किराएदारी, पट्टे के अनुबंध, या इसी तरह की संविदा की आवश्यकतानुसार किराए का भुगतान नहीं करने या समय पर एक आवास भुगतान नहीं करने पर शुल्क, जुर्माना, या ब्याज अभी भी लगाया या एकत्र किया जा सकता है।
- मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि बेदखली पर इस अस्थायी रोक के अंत में, मेरे मकान मालिक, आवासीय संपत्ति के मालिक जहां मेरा निवास है, या कोई अन्य व्यक्ति या संस्था जिसके पास उस जगह से मुझे बेदखल करने या हटाने का अधिकार है, जहां मेरा निवास है, को मुझे उन सभी भुगतानों का पूरा भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जो अस्थायी रोक से पहले और उसके दौरान नहीं किए गए थे और भुगतान में विफलता मुझे राज्य के कानूनों और स्थानीय अध्यादेशों के अनुसार बेदखली के विषयाधीन कर सकती है।

मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी झूठे या भ्रामक बयानों या कुछ छिपाने के परिणामस्वरूप अर्थदंड, जुर्माने, हर्जाने या कारावास के लिए आपराधिक और दीवानी कार्रवाई हो सकती है।

“अनिवार्य व्ययों” में भोजन, जनोपयोगी सेवाएं (बिजली, पानी, गैस), फोन व इंटरनेट एक्सेस, स्कूली सामान, ठंडे मौसम के कपड़े, चिकित्सा व्यय, बच्चों की देखभाल, और कार भुगतान व बीमा समेत परिवहन की लागतें शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।